सू.का.अधि.मामला/
समयबद्ध
अति तत्काल

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय / Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066
Bhavishyaल Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066
www.epfiindia.gov.in , www.epfindia.nic.in

संख्या: सी.-I/1(108)11/इलाहाबाद/सूचना का अधिकार/उ.अं./206 दिनांक 06 MAY 2011

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराना ।

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत श्री एस.के.मिश्रा द्वारा उनके लिखित आवेदन दिनांक 15.04.2011 के द्वारा सूचना हेतु अनुरोध किया गया है।

2. चूंकि, मुझे उक्त अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाने पर अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उस पर विचार कर सूचना देना आवश्यक है।

3. एवं चूंकि अधिनियम की धारा 5(4) में प्रावधान है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, यदि उचित समझे, अपने कर्तव्य के उचित निर्वाह हेतु किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकता है। उप पैरा (5) में आगे यह प्रावधान भी है कि जिस अधिकारी से सहायता मांगी गई है वह केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को पूरी सहायता देगा। यदि अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के कारण शिकायत भेज दी जाती है, तो ऐसे अन्य अधिकारी को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी माना जाएगा एवं वह अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दण्ड का भागी हो सकता है। आगे, उपबन्धों का उल्लंघन होने अथवा दस्तावेज/सूचना उपलब्ध न कराने पर ऐसा अधिकारी अधिनियम की धारा 20 (1) के अन्तर्गत देरी के लिए, 250/-रूपये प्रतिदिन की दर से दण्ड का भागी होगा जो कि 25000/-रूपये तक बढ़ सकता है।

4. एवं चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 (3) में प्रावधान है कि:

"जब सूचना के लिए जन अधिकारी को आवेदन किया गया हो:-"

(vii) जो किसी अन्य जन अधिकारी के पास उपलब्ध हो ; अथवा

(viii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य जन प्राधिकारी के कार्यों से संबंध रखती हो।

जिस जन प्राधिकारी को ऐसा आवेदन किया गया हो, वह आवेदन को अथवा इसके किसी भाग को, जैसा उचित समझे उस अन्य अधिकारी के पास स्थानांतरित करेगा एंव आवेदन कर्त्ता को ऐसे स्थानांतरण की तत्काल सूचना देगा।

5. चूंकि आवेदन की जाँच से मैंने पा या है कि आवेदनकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना क्षेत्रों के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों / उप क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित एवं उपलब्ध है । मैं उक्त अधिनियम की धारा 5(4) का उपयोग करते हुए आवेदनकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना/दस्तावेज निर्धारित समयावधि के भीतर, इस कार्यालय को सूचित करते हुए, सीधे आवेदक को उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र को स्थानांतरित करता हूँ । कृपया आप नोट करें कि मांगी गई सूचना/दस्तावेज निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्ध कराने में हुई देरी के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत दाण्डिक उपबन्ध हैं ।

कृपया इसे **अति तत्काल** समझें ।

संलग्न:- दिनांक 15.04.2011 के
आवेदन की प्रतिलिपि

(पी.के.अग्रवाल)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी(अनुपालन)

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. श्री एस.के.मिश्रा, शिक्षक कल्याण समिति, 234, एम आई जी, प्रीतम नगर, इलाहाबाद को उनके आवेदन संख्या एस के एस/क.भ.नि.सं./2011/70 दिनांक 15.04.2011 के संदर्भ में ।
2. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी (पी.आई.डी.) को पत्र संख्या पी.आई.डी. / मुख्या / 246 / 11 / 5287 दिनांक 05.05.2011 के संदर्भ में ।
3. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एन.डी.सी) - इस पत्र की प्रतिलिपि एवं दिनांक 15.04.2011 का आवेदन पत्र संगठन की वेबसाइट पर डालने के लिए ।

(पी.के.अग्रवाल)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी(अनुपालन)

शिक्षक कल्याण समिति

(सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 ई० के अधीन पंजीकृत)
कार्यालय : 234, एम० आई०जी०, प्रीतम नगर, इलाहाबाद

पत्रांक SKS/EPFO/2011/-70

दिनांक : 15-04-11

The Central Public information Officer

The Employees' Provident Fund organisation,

14, Bhikaiji Cama Place, Bhavishya Nidhi Bhawan

New Delhi -1100 66. India.

SUBJECT: INFORMATION UNDER SECTION 03 OF RIGHT TO INFORMATION ACT-2005.

Dear Sir/Madam,

1. There are 143 Air Force Schools running across the country. To the knowledge of applicant The Air Force School, Bamrauli, Allahabad is covered under Employees Provident Fund and Misc. Provision Act 1952 and the rest are uncovered.
2. Kindly supply me the following information under section 03 of RTI Act 2005.
   i) List of Air Force Schools running in the Regional Employees' Provident Fund Organisation in India.
   ii) Number of Air Force Schools covered and Number of Air Force Schools not covered under Employees' Provident Fund Organisation.
   iii) What action being taken for the coverage of Air Force Schools under Employees' Provident Fund Organisation along with the date of foundation of these institutions.
3. Enclosed please find a blank postal order of Rs. 10/- no SOC-689325 SOC-689324 as processing fee. If any further amount is required the same may kindly be intimated to the undersigned and the manner of sending the amount.
4. I requested you to kindly send reply within stipulated time.

Thanking You,

Pl transfer to RC Comp

22.4.2011

Regional P. F. Commissioner

50(2)

2/5/11

715
2/5/11

Yours Sincerely,

(SK Mishra)
Patron